PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Wednesday 16th April 2014, Page: 10
Width: 5.96 cms, Height: 10.80 cms, a4, Ref: pmin.2014-04-16.54.90

'पक्षपातपूर्ण नहीं हैं भारतीय कानून'

प्रेट्र ▶ वाशिंगटन...

एक प्रमुख अमेरिकी संस्था ने जोर देकर कहा है कि भारतीय पेटेंट और फार्मा कानून डब्ल्यूटीओ के नियमों के पूरे अनुकूल हैं और इसे किसी भी तरह से भेदभाव परक नहीं कहा जा सकता।

अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन (यूएसएआईटीसी) को भेजी एक रिपोर्ट में 'पब्लिक सिटीजन' नाम की इस स्वयंसेवी संस्था ने कहा है कि भारतीय कानून ट्रिप्स के तहत जरूरी डाटा प्रोटेक्शन की अनिवार्यता को पूरी करते हैं।गौरतलब है कि यूएसआईटीसी फिलहाल अमेरिकी सांसदों के अनुरोध पर 'भारत की व्यापार, निवेश और औद्योगिक नीतियां और अर्थव्यवस्था पर उनके असर' की जांच कर रही है। पब्लिक सिटीजन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'भारत के ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत ड्रग कंट्रोलर ऑफिस का कोई भी अधिकारी आधिकारिक जरूरतों (जब यह कानून सम्मत हो) या जब किसी नई दवा की मार्केटिंग को मंजूरी देने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की इजाजत से टेस्ट डाटा की जरूरत के अलावा कभी भी किसी हासिल जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता।'